<u>प्रकरण संख्या 03/2021 दोलसिंह व अन्य बनाम कालू व अन्य</u>

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28.10.2024	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने एक वाद बाबत् अन्तर्गत धारा 88, 53, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 11 के नाम ग्राम खुटां, तहसील कुशलगढ़ में खाता नंबर 21, 18, 29, 48, 55, 63, 65, 67, 69, 79, 06 नई 16, 17, 26, 39, 47, 56, 58, 60, 62, 06, 77 पुरानी जमाबन्दी संवत् 2070 से 2073 में खातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड है, जिसके कुल खसरा 26 रकबा 20.96 एकड़ है। वक्त सेटलमेन्ट संवत् 1973–74 में नगा पिता बाबरिया भील के नाम खाता संख्या 5 खसरा नंबर 21, 27, 35, 36, 37, 96/12 कुल किता 6 रकबा 17.14 एकड़ दर्ज है। अगला सेटलमेन्ट संवत् 2015 में पुनः हुआ, जिसमें खाता संख्या 12 खसरा नंबर 25, 62, 63, 64 कुल किता 4 रकबा 13.56 एकड़ मोगजी पिता नगा मीणा के नाम दर्ज किया गया। संवत् 1973–74 व संवत् 2015 का तुलनात्मक नंबर उपलब्ध नहीं होने से संवत् 1973–74 का नक्शा ट्रेस खसरा नंबर 21 व 96/12 व संवत् 2015 का खसरा नंबर 25 एक दूसरे पर रखकर देखने से खेत की सीमा मिलती है, जिससे स्पष्ट होता है कि वर्णित कृषि भूमि स्वर्गीय नगा के खाते की है, जो संवत् 2015 में सेटलमेन्ट में एक मोगजी के नाम ही दर्ज हुई बाद में दूसरे पुत्र केहरिंग का नाम जोड़ा गया, किन्तु वादी जो नगा के बड़े पुत्र धना का पुत्र है, उसे वंचित रखा गया। संवत् 1973–74 में दर्ज खातेदार नगा पिता बाबरिया की वंशावली वाद पत्र की कलम संख्या 4 अनुसार होकर नगा के तीन पुत्र धन्ना, केहरिंग, मोगजी हुए। वादी कालू धन्ना का पुत्र है, केहरिंग के पुत्र प्रतिवादी संख्या 10 वाला व प्रतिवादी संख्या 11 देवजी है तथा मोगजी के पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 से 9 हैं। खाता संख्या 12 रकबा 13.56 एकड़ भूमि जो नगा जी की होकर पैत्रृक भूमि है, उसमें नगा के तीनों पुत्र धन्ना, केहरिंग व मोगजी का नाम दर्ज होना चाहिए था, किन्तु सम्पूर्ण खाते की भूमि मोगजी के 9 पुत्रों व खाता संख्या 25 केहरिंग के पुत्रों में विभाजित कर दिया गया है। अतः वादी का वाद स्वीकार कर खाता संख्या 12 रकबा 20.96 एकड़ में वादी को 1/3 हिस्से का, केहरिंग के वारिसान प्रतिवादी संख्या 10 व 11 को 1/3 हिस्सा का तथा मोगजी के वारिसान प्रतिवादी संख्या 1 से 9 को 1/3 हिस्से का सहखातेदार घोषित किया जाकर इसी अनुसार विभाजन किया [illegible] को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक [illegible]1.2021 को निर्णय [illegible] करते हुए वादी का वाद स्वीकार कर [illegible]ाजन की प्रारम्भिक [illegible]	

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.11.19 11:15:14 IST
Reason: SelfAttested

जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्टगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 22.01.2021 को प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री भगवत पुरी उपस्थित हुए, जबकि अपीलान्टगण की ओर से अधिवक्ता श्री जयेन्द्र पुरोहित उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 21.10.2020 को अपीलान्टगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर दी, जबकि दिनांक 20.09.2017 को प्रतिवादी संख्या 5, 8, 9 की तामिल में नियत था, परन्तु उनकी विधिवत तामिल किये बिना ही उनके विरूद्ध दिनांक 21.10.2020 को अपीलान्टगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दे दिये गये, जो विधि सम्मत नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने केवल वादी/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 के अभिवचनों के आधार पर वाद डिक्री किया है, जो विधि सम्मत नहीं है। वाद वर्णित भूमि नगा ने अपने जीवनकाल में ही तीनों पुत्रों को विभाजित कर दे दी थी, जिसका सेटलमेन्ट खाता क्रम संख्या 12 खाता संख्या 12 के खेत सर्वे नंबर 25 रकबा एकड़, सर्वे नंबर 62 रकबा 0.10 एकड़, सर्वे नंबर 63 रकबा 1.64 एकड़, सर्वे नंबर 64 रकबा 1.60 एकड़ कुल खेत 4 रकबा 13.56 एकड़ मोगजी पिता नगाजी के नाम दर्ज हुआ, जिसका सेटलमेन्ट खाता संवत् 2015 है। इसी प्रकार खाता संख्या 2 क्रम संख्या 2 के खेत सर्वे नंबर 55 रकबा 3.50 एकड़, सर्वे नंबर 60 रकबा 3.82 एकड़, सर्वे नंबर 64 रकबा 0.08 एकड़ कुल खेत 3 रकबा 7.40 एकड़ केहरिंग पिता नगा के खातेदारी में दर्ज हुआ। इसी प्रकार खाता संख्या 3 क्रम संख्या 3 के खेत सर्वे नंबर 92 रकबा 0.06 एकड़, सर्वे नंबर 92 रकबा 3.02 एकड़, सर्वे नंबर 105 रकबा 1.97 एकड़, सर्वे नंबर 113 रकबा 2.14 एकड़, सर्वे नंबर 118 रकबा 2.00 एकड़ कुल खेत 5 रकबा 9.19 एकड़ धन्ना पिता नगा के खातेदारी में दर्ज हुई है, जिसका सेटलमेन्ट खाता संवत् 2012 है। इस प्रकार संवत् 2012 में ही नगा के तीनों पुत्रों के मध्य बंटवारा होकर खाता कायम हो चुका है तथा सभी खातेदार अपने–अपने हिस्से पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं, लेकिन उक्त तथ्य को वादी/रेस्पोन्डेन्ट ने छुपाते हुए अपीलान्टगण के विरूद्ध एकपक्षीय डिक्री प्राप्त कर ली, जो त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.11.19 11:15:14 IST
Reason: SelfAttested

उक्त बहस का अवलोकन करते हुए विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट

ने बताया कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर निर्णय पारित करते हुए प्रारम्भिक डिक्री जारी की है, जो विधि सम्मत होने से अपील खारिज की जावे।

हमने बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। हमारे सम्मुख आदेश 41 नियम 27 जा. दी. के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि संवत् 2015 क्रम संख्या 12 खाता संख्या 12 में सर्वे नंबर 25 रकबा एकड़, सर्वे नंबर 62 रकबा 0.10 एकड़, सर्वे नंबर 63 रकबा 1.64 एकड़, सर्वे नंबर 64 रकबा 1.60 एकड़ कुल खेत 4 रकबा 13.56 एकड़ मोगजी पिता नगाजी के नाम दर्ज है। इसी प्रकार खाता संख्या 2 क्रम संख्या 2 में सर्वे नंबर 55 रकबा 3.50 एकड़, सर्वे नंबर 60 रकबा 3.82 एकड़, सर्वे नंबर 64 रकबा 0.08 एकड़ कुल खेत 3 रकबा 7.40 एकड़ केहरिंग पिता नगा के खातेदारी में दर्ज है तथा इसी प्रकार खाता संख्या 3 क्रम संख्या 3 में सर्वे नंबर 92 रकबा 0.06 एकड़, सर्वे नंबर 92 रकबा 3.02 एकड़, सर्वे नंबर 105 रकबा 1.97 एकड़, सर्वे नंबर 113 रकबा 2.14 एकड़, सर्वे नंबर 118 रकबा 2.00 एकड़ कुल खेत 5 रकबा 9.19 एकड़ धन्ना पिता नगा के खातेदारी में दर्ज है। चूंकि अपीलान्टगण के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय में एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी थी, जिससे उन्हें अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ है, किन्तु न्यायालय हाजा में उनके द्वारा प्रस्तुत उक्त दस्तावेजों के अवलोकन से प्रथम दृष्टया उनका दस्तावेजों का परीक्षण किया जाना उचित प्रकट होता है। तद्नुसार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 76/2016 निर्णय एवं डिक्री 04.01.2021 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि हमारे द्वारा उपरोक्त किये गये विवेचन को दृष्टिगत रखते हुएद उक्त खाता संख्या 12, 2 व 3 का पुनः परीक्षण कर तथा उभयपक्षों को सुनवाई व साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर देकर पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 27.12.2024 को उपस्थित रहें। निर्णय आज दिनांक 28.10.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathour
Date: 2024.11.19 11:15:14 IST
Reason: SelfAttested

(कीर्ति राठौड़)
प्रभारी अधिकारी
अति. राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर